

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.13(2)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक: 2/12/2020

:- आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत भरतपुर जिले की 08 नगरीय निकायों (बयाना, भुसावर डीग, कामां, कुम्हेर, नदवई, नगर, वैर) के आम चुनाव हेतु मतदान दिवस दिनांक 11.12.2020 (शुक्रवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी), भरतपुर को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुर्नमतदान की स्थिति में भी जहां पुर्नमतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुर्नमतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी), भरतपुर को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

E-mail : secraj@rajasthan.gov.in. Ph./Fax : 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/2020/पार्ट-III/ 10654

दिनांक : 04/12/2020

प्रतिलिपि : जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)(नगरपालिका) भरतपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव